

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-16-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला दतिया की तहसील दतिया की सीमाएँ, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 10 से 12, 17 से 19 एवं 22 से 29 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील दतिया के पटवारी हल्का क्र. 10 से 12, 17 से 19 एवं 22 से 29 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील दतिया नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 14 पटवारी हल्के होंगे और 31 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय दतिया में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-16-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-16-2018-सात-6, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-16-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Datia of District Datia from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 10 to 12, 17 to 19 and 22 to 29 and creates a new Tehsil Datia Nagar by comprising of Patwari Halka No. 10 to 12, 17 to 19 and 22 to 29 of Tehsil Datia, in which the total Patwari Halkas Shall be 14 and villages Shall be 31. The headquarter of the said Tehsil shall be at Datia.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-17-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला मुरैना की तहसील मुरैना एवं तहसील जौरा की सीमाएँ, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त मुरैना के पटवारी हल्का क्र. 31 से 39 एवं 45, राजस्व निरीक्षक वृत्त जीगनी के पटवारी हल्का क्र. 45 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त गलेथा के पटवारी हल्का क्र. 104 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील मुरैना एवं तहसील जौरा के राजस्व निरीक्षक वृत्त मुरैना के पटवारी हल्का क्र. 31 से 39 एवं 45, राजस्व निरीक्षक वृत्त जीगनी के पटवारी हल्का क्र. 45 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त गलेथा के पटवारी हल्का क्र. 104 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मुरैना नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 12 पटवारी हल्के होंगे और 13 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय मुरैना में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-17-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-17-2018-सात-6, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-17-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Morena and Tehsil Jaura of District Morena from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 31 to 39 and 45 of Revenue Inspector Circle Morena, Patwari Halka No. 45 of Revenue Inspector Circle Jigani and Patwari Halka No. 104 of Revenue Inspector Circle Galetha and creates a new Tehsil Morena Nagar by comprising of Patwari Halka No. 31 to 39 and 45 of Revenue Inspector Circle Morena, Patwari Halka No. 45 of Revenue Inspector Circle Jigani and Patwari Halka No. 104 of Revenue Inspector Circle Galetha of Tehsil Morena and Tehsil Jaura, in which the total Patwari Halkas shall be 12 and villages Shall be 13. The headquarter of the said Tehsil shall be at Morena.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.